

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री रामकृष्ण शर्मा व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, लदाना-फागी, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, रामय दलपत, झालावाड़ किया गया। श्री रामकृष्ण शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-4006/2019 श्री रामकृष्ण शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-4006/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-06.12.19 द्वारा अपीलार्थिया श्री रामकृष्ण शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री रामकृष्ण शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी अस्थमा की गम्भीर स्टेज पर होने, पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने तथा क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण अपना पदस्थापन 1-राउमावि, वाटिका, जयपुर 2-देवलिया, सांगानेर 3-फागी, जयपुर 4-बाडा पदमपुरा, चाकसू 5-करेडा, चाकसू 6-जयपुर जिले में किसी भी विद्यालय में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक-06.12.2019 में विभाग को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्री रामकृष्ण शर्मा का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है, अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक-29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, रामय दलपत, झालावाड़ में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर दिनांक- 23/12/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(हिमांशु गुप्ता) 20/12
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./रामकृष्ण शर्मा/4006/2019 दिनांक-20.12.2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, झालावाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री रामकृष्ण शर्मा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग-प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)